जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, धनबाद

पत्रांक 393 दिनांक 15.09.2017

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर संविदा के आधार पर नियुक्ति

संबंधी सूचना

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1016 दिनांक 01.03.2017 द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु स्वीकृत पदों पर नियुक्ति किया जाना है। जिसका विवरणी निम्न प्रकार है :–

1. जिला स्तर

क्रमांक	पद का नाम	कोटि	संख्या	मासिक मानदेय राशि (रूपया में)
1	जिला समन्वयक	अनारक्षित	01	35,000/–
2	प्रशिक्षण समन्वयक	अनारक्षित	01	35,000/–
3	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	अनारक्षित	01	15,000/–

2. प्रखण्ड स्तर

क्रमांक	पद कानाम	आरक्षण रोस्टर	**संख्या**	मासिक मानदेय
1	प्रखण्ड समन्वयक	UR- 5, ST-01,SC-01, BC-I – 02, BC-II – 01,	10	18,000/–
2	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	UR- 5, ST-01,SC-01, BC-I – 02, BC-II – 01,	10	10,000/–

नोट : आरक्षण रोष्टर का सक्षम स्तर से अनुमोदन के क्रम में आरक्षण कोटिवार पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

3. शैक्षणिक योग्यता :

जिला स्तर पर निर्धारित पदो के लिए :–

क्रं. सं0	पद का नाम	मासिक मानदेय राशि	उम्र सीमा*	शैक्षणिक योग्यता
1	जिला समन्वयक	35000/–	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
2	प्रशिक्षण समन्वयक	35000/–	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
3	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर।	15000/–	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

प्रखण्ड स्तर पर निर्धारित पदो के लिए :–

क्रं. सं0	पद का नाम	मासिक मानदेय राशि	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रखण्ड समन्वयक	18000/–	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क

				में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर।	10000/–	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

उम्र सीमा* :– उम्र की गणना 01.01.2017 के आधार पर की जाएगी।

4. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

1. इच्छूक एवं योग्य उम्मीदवारों को संबंधित जिला के लिए ऑनलाईन आवेदन http://applyrdd.jharkhand.gov.in पर दिनांक 16.03.2017 से 30.03.2017 तक समर्पित कर सकेंगे।
2. आवेदक एक से अधिक पदो के लिए आवेदन समर्पित कर सकते है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।
3. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान निम्नवत होगा :–

क्रमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
जिला स्तर			
1	जिला समन्वयक	500/–	सामान्य/अ0पि0/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		300/–	अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के लिए
2	प्रशिक्षण समन्वयक	500/–	सामान्य/अ0पि0/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		300/–	अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के लिए
3	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	200/–	सामान्य/अ0पि0/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		150/–	अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के लिए
प्रखण्ड स्तर			
1	प्रखण्ड समन्वयक	400/–	सामान्य/अ0पि0/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		200/–	अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के लिए
2	लेखापाल–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	150/–	सामान्य/अ0पि0/पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए
		100/–	अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के लिए

4. यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन देना चाहते है तो उन्हें पदवार अलग–अलग शुल्क जमा करना होगा।

5. संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त निम्नवत् होगी :–

1. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यो का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति मेंऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।
2. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे, परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
3. उपर्युक्त अवधि में सविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4. संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
5. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।
6. आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।
7. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।
9. नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
10. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायगी। भविष्य में स्थायी सेवा का दावा मान्य नहीं होगा।

16/3/17

उपायुक्त, धनबाद।